अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2014

फा. सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/48.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभण**

(1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सामान्य वाहक या संविदा वाहक प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए अभिगम कोड) संशोधन विनियम, 2014 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **विनियम 2 और विनियम 13 में संशोधन**

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सामान्य या संविदा वाहक प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए अभिगम कोड) विनियम 2008 में -

(क) विनियम 2 में, खण्ड (।) के बाद निम्नलिखित खण्ड को जोड़ा जाए, अर्थात् -

"(एल क) असंतुलन प्रबंधन सेवाओं" का अर्थ उन सेवाओं से है जो ग्राहकों या शिपर्स को बोर्ड के संगत विनियमों के अंतर्गत व्यवस्थित ढंग से उनके असंतुलन का प्रबंधन करने में सक्षम बनाती है।

(ख) विनियम 13 में, उप-विनियम (12) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम को जोड़ा जाए, नामत:-

"(13) ट्रांसपोर्टर, बोर्ड के संगत विनियमों के अंतर्गत असंतुलन प्रबंधन सेवाओं को उनकी तकनीकी और प्रचालनात्मक व्यवहार्यता की सीमा तक उपलब्ध कराएगा"।

के. राजेश्वर राव, ओएसडी(आर)

[विज्ञापन III/4/असाधारण/188/13]

पाद टिप्पणी : मूल विनियमों को सा.का.नि. 541(अ), दिनांक 17/07/2008 द्वारा अधिसूचित किया गया था और तत्पश्चात् सा.का.नि. 274(अ), दिनांक 21/04/2009 द्वारा संशोधित किया गया था।

IndiaCode

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2014

F. No. PNGRB/M(C)/48.— In exercise of the powers conferred by Section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, namely:—

1. Short title and commencement.

 (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Access Code for Common Carrier or Contract Carrier Natural Gas Pipelines) Amendment Regulations, 2014.

 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of regulation 2 and regulation 13.

 In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Access Code for Common or Contract Carrier Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008, -

(a) in regulation 2, after the clause (l), the following clause shall be inserted, namely:-

"(la) Imbalance Management Services" means such services that enable customers or shippers to manage their imbalances in an orderly fashion under the relevant regulations of the Board;"

(b) in regulation 13, after sub-regulation (12), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

"(13) A transporter shall provide, under the relevant regulations of the Board, Imbalance Management Services to the extent it is technically and operationally feasible.".

K. RAJESWARA RAO, OSD(R)

[ADVT. III/4/Exty./188/13]

Foot Note : Principal regulations were notified vide GSR 541(E), dated 17/07/2008 and subsequently amended vide GSR 274(E), dated 21/04/2009.

IndiaCode